संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 25.03.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 अदद प्रतिबन्धित चाकू के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह *** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व मे आज दिनांक 25.03.2024 को ग्राम नौरंगिया कटाई मोड़ व ग्राम कोनी के पास से क्रमशः 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- दिनेश सिंह पुत्र स्व0 रामरेखा सिंह 2- सत्यवान सिंह पुत्र ऋषिमुनि सिंह निवासीगण गजपतपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर को 01-01 अदद प्रतिबन्धित चाकू के साथ गिरफ्तारी किया गया । उक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 235/2024 व मु0अ0सं0 237/2024 धारा 4/25 आमर्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1- दिनेश सिंह पुत्र स्व0 रामरेखा सिंह निवासी गजपतपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर

2- सत्यवान सिंह पुत्र ऋषिमुनि सिंह निवासी गजपतपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर ।

कुल बरामदगी-

02 अदद प्रतिबन्धित चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

उ0नि0 अशोक कुमार दुबे मय हमराह का0 लालचन्द्र प्रसाद , का0 देवी प्रसाद यादव, का0 रंजन कुमार राजभर व का0 संजीव यादव ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

संतकबीरनगर पुलिस

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 25 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम पता सावित्री पत्नी लक्ष्मण निवासी सिकरी उर्फ अमहवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 78/2024 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री भानुप्रकाश यादव, हे0का0 राकेश कुमार, का0 प्रवेश यादव, का0 अनूप कुमार यादव, म0का0 सोनम वर्मा।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3305 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3305 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मटिहना से इवेन्ट संख्या 14366 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 01 व्यक्ति (**पिण्टू पुत्र रामजतन निवासी मटिहना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आरक्षी विकास गोड, हो0चा0 सुरेन्द्र शर्मा।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 132 वाहनों से 1,14,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 132 वाहनों से 1,14,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।